



पत्रांक:-

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन प्रशिक्षण, एवं कौशल विकास विभाग
जिला नियोजनालय, खूँटी।

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना”

योग्यता:- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई0टी0आई0, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो **National Skill Qualification Framework (NSQF)** से **aligned** हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।


पात्रता:-

- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हों और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों)।
- आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।
- योजना हेतु चिन्हित के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण^न हो।
- झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (Domicile) हो।
- स्वयं का वैध बैंक खाता/आधार कार्ड हो।
- वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)

प्रोत्साहन राशि:-

- उपर्युक्त अर्हताधारी आवेदकों के लिए ₹0 5,000/- प्रति वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)

(नोट:-यह सूचना जिले के [Website www.khunti.nic.in](http://www.khunti.nic.in) एवं कार्यालय के सूचना पट पर भी देख सकते हैं।)


21/06/21

Annexure-1

“मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र)

आवेदक/आवेदिका का नाम:-

पिता/पति का नाम:-

माता का नाम:-

जन्म तिथि:-

नोट:- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष) अनूसूचित एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/महिला):-

कोटि:-

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग):- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि:-

स्थायी पता (पिन कोड सहित):-

स्वाभिप्रेमाणित
फोटो (तिथि सहित)

वर्तमान पता (पिन कोड सहित):-

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न):- हाँ/नहीं

मोबाईल सं०:-

ई-मेल:-

आधार सं०:-

आधार लिंक बैंक खाता सं०

बैंक का नाम

IFSC कोड:-

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न):-

उत्तीण परीक्षा	बोर्ड/वि०वि० का नाम	उत्तीण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनिकी योग्यता:- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आई०टी०आई०, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned हो, से उत्तीण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न):-

शपथ -पत्र

1. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।

2. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।

3. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जायगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर